

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: अधिसूचना ::—

सं० सं०-17/विविध 01-124/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ-04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	डा० गीता सिन्हा, प्राध्यापक	स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- अधिसूचित प्राचार्य को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-9262/वि०, दिनांक-01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
- प्राचार्य के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेगे।
- एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक सशोधित समझे जायेंगे।
- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

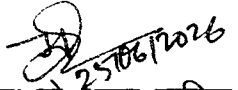
ह०/-

(मृणायक दास)

सरकार के अपर सचिव।

सं० सं०- 17/विविध 01-124/2026 733 (17) पटना, दिनांक :- 25/6/2026

- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 07, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।